## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल**

**अध्यक्ष**

प्रकरण कमांक निगरानी 174–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–12–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 282 / अपील / 2012–13.

—

जालूसिंह पिता मॉगू निनामा
निवासी ग्राम छोटी गेहण्डी तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0

..............आवेदक

**विरूद्ध**

1–अमित पिता श्री सुल्तान सिंह मुणिया
निवासी ग्राम छायन पश्चिम
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
2–सरपंच ग्राम पंचायत छोटी गेहण्डी
3–सचिव ग्राम पंचायत छोटी गेहण्डी
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

..............अनावेदकगण

---

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदकगण

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 26/11/15 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 18–12–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर झाबुआ द्वारा तहसीलदार को ग्राम छायन पश्चिम की ग्राम पंचायत गेहण्डी के ग्राम छायन पश्चिम में रिक्त कोटवार के पद पर नियुक्त करने हेतु दिनांक 17–10–2011 को आदेशित किया गया । कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार पेटलावद द्वारा प्रकरण क्रमांक 35 / अ–56 / 2011–12 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 5–9–12 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक जालूसिंह को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–4–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–12–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई एवं तहसीलदार पेटलावद को निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत गेहण्डी के प्रस्ताव दिनांक 8–1–13 के अनुरूप अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति ग्राम छायन पश्चिम तहसील पेटलावद के रिक्त कोटवार पद पर की जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–6–12 को उद्‌घोषणा जारी किये जाने पर नियत अवधि में केवल आवेदक का ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था और अनावेदक कमांक 1 द्वारा निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य था और ऐसे अवधि बाह्य अस्पष्ट आवेदन पत्र के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) चूँकि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 कोटवार पद हेतु उम्मीदवार ही नहीं था, अतः उसे आवेदक के नियुक्ति आदेश को आक्षेपित करने का अधिकार नहीं है, इस वैधानिक स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत गेहण्डी द्वारा ठहराव प्रस्ताव के संबंध में भेजे गये पत्र के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक का नाम कोटवार पद हेतु प्रस्तावित था, परन्तु वह ग्राम छायन पश्चिम का निवासी नहीं है इसलिये उसका प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जबकि संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत कोटवार पद के उम्मीदवार को उस ग्राम का निवासी होना आवश्यक नहीं है ।

(4) दोनों अधिनस्थ न्याायलय तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में जो ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है और संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को ठहराव प्रस्ताव मंगाने का अधिकार नहीं है, अतः ऐसे ठहराव प्रस्ताव पर विचार करने में अपर आयुकत द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(6) संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत तहसीलदार को अस्थायी कोटवार नियुक्त करने की अधिकारिता है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अपील अथवा निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

तर्क के समर्थन में वर्ष 1993 आरएन 151, 1981 आरएन 451, 1995 आरएन 187, 1990 आरएन 139 एवं 343 तथा 2001 आरएन 283 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यह आधार उठाया गया है कि तहसीलदार द्वारा एक मात्र प्राप्त आवेदन पत्र पर ठहराव प्रस्ताव मॉगा गया था, जिस हेतु ग्राम पंचायत में उसका नाम का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित था । चूँकि वह ग्राम का निवासी नहीं था, इसलिये तहसील न्यायालय को पत्र लिखकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा एक मात्र आवेदक जालूसिंह के आवेदन पत्र पर से उसकी नियुक्ति करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और वर्तमान में वह निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जिससे ग्रामवासीगण संतुष्ट हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 1 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तिहार का प्रकाशन किया गया है और नियत तिथि तक केवल एक ही आवेदन पत्र आवेदक जालूसिंह का प्राप्त हुआ है जो कि कोटवार पद की सभी आर्हताएं रखता था। तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक का चिकित्सा प्रमाणपत्र भी संलग्न है जिसमें आवेदक को कोटवार पद के योग्य दर्शाया है । थाना प्रभारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न है, जिसमें उसके विरूद्ध कोई आपराधिक रिकार्ड पंजीबद्ध नहीं होना दर्शाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक को कोटवार पद के पूर्णतः योग्य पाते हुये कोटवार के पद पर उसकी नियुक्ति करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । जहॉ तक ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का प्रश्न है ग्राम पंचायत द्वारा कोई ठहराव प्रस्ताव केवल इस कारण से पारित नहीं किया गया है कि आवेदक दूसरे गॉव का निवासी है। संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने कोटवारी नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसी ग्राम के निवासी उम्मीदवार को ही कोटवार पद पर नियुक्त किया जायेगा । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि चूँकि निर्धारित अवधि में केवल एक ही आवेदन पत्र आवेदक का प्राप्त हुआ है, जो कि पूर्णतः कोटवार पद के लिये योग्य है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिया जाना महत्वहीन हो जाता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये इस निष्कर्ष के साथ अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अनावेदक कमांक 1 को पूर्णतः कोटवार पद के लिये उपयुक्त पाते हुये केवल इस आधार पर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया है कि नियत अवधि में अनावेदक कमांक 1 द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि अवैधानिक

कार्यवाही है, परन्तु उनके द्वारा इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि जब अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु नियत अवधि में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है तब उस पर विचार नहीं करने में तहसीलदार द्वारा कौन सी अवैधानिकता अथवा अनियमिता की गई है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 18–12–2013 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–04–2013 व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–09–2012 स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर